न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली कैम्प भाटून्द
पीठासीन अधिकारीः श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
भंवरलाल पुत्र भीखाजी जाति ब्राह्मण साकिन भाटून्द तहसील बाली		तहसीलदार, बाली

प्रकरण संख्या :— 87 / 2021
बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनॉक : 15.11.2021

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भाटून्द के खसरा न. 1227,1234,1263,1264,1265,1266,1267,1273,1274,1295,1296,1308, 1309,1310, 1311,1355,1356,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1451,1452,1453,1454,1455,1456 कुल खसरा 30 रकबा 6.4600 हे. भूमि स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी का **त्रुटिपुर्ण नाम ब्रह्मानंद पुत्र भीखाजी दर्ज हैं** तथा अतः रेकर्ड को दुरूस्त करते हुए प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र भीखाजी** करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय पटवारी रिपोर्ट भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज़ व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 में दर्ज बतौर सह खातेदार संख्या 14 पर **प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम ब्रह्मानंद पुत्र भीखाजी** दर्ज हैं, जबकि प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र भीखाजी** प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड व शपथ पत्र की प्रतियों के अनुसार है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का,भाटून्द ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सही नाम दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने की अनुशंषा की हैं।

अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम भाटून्द के खसरा न. 1227,1234,1263,1264,1265,1266,1267,1273,1274,1295,1296,1308,1309,1310, 1311, 1355, 1356,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1451,1452,1453,1454,1455,1456 कुल खसरा 30 रकबा 6.4600हे. भूमि में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम ब्रह्मानंद पुत्र भीखाजी** को दुरूस्त करते हुए **प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र भीखाजी** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष सभी इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। अप्रार्थी भूमिधारी आदेश की पालना तुरन्त कर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
कैम्प : भाटून्द

आदेश आज दिनॉक 15.11.2021 मजमें कैम्प भाटून्द में पक्षकारों को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,बाली
कैम्प : भाटून्द

Scanned with CamScanner